राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–प.10(   )चुनाव / डी.एल.बी. / 16 /   दिनांकः 17.11.2016

आदेश

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 1316–1556 दिनांक 18.11.2016 एवं आदेश क्रमांक 1557 दिनांक 09.11.2016 द्वारा राज्य की समस्त नगरीय निकायो को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित फ्लेगशिप योजनाओ पर विचारार्थ दिनांक 18.11.2016 को प्रातः 11:00 बजे बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये है।

राज्य के जिन नगर निकायो में अधिसूचना क्रमांक 981 दिनांक 15.11.2016 के तहत दिनांक 29.11.16 को उप चुनाव होने जा रहे है हेतु प्रकरण राज्य निर्वाचन आयोग को आदर्श आचार संहिता में शिथिलन की स्वीकृति देने हेतु प्रस्तुत किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा योजना की समीक्षा हेतु बोर्ड की बैठक दिनांक 18.11.2016 को आयोजित करना आदर्श आचार संहिता के प्रतिकूल नहीं बताया है तथा बोर्ड की बैठक आयोजित करना अनुमत किया गया है।

अतएव जिन नगरीय निकायो में दिनांक 29.11.16 को उप चुनाव होने है वहां पर भी दिनांक 18.11.2016 को विशेष बोर्ड बैठक आयोजित की जावे।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–प.10(   )चुनाव / डी.एल.बी. / 16 /   दिनांकः 17.11.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान।
4. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर।
5. संबंधित महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / नगर पालिका / परिषद राजस्थान।
6. आयुक्त ,नगर निगम, बीकानेर / उदयपुर।
7. आयुक्त,नगर परिषद, बाडमेर।
8. अधिशाषी अधिकारी,नगर पालिका,विजयनगर / खेडली / कापरेन / निम्बाहेडा नोहर / मंण्डावा / विद्याविहार / सादडी।
9. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी